कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक-06.07.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक-05/06.07.2025 की रात्रि को **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना औराई व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित से ₹49000/- की छल पूर्वक लूट करने की घटना में शामिल **तीन अन्तर्जनपदीय** अभियुक्तों को चीनी मिल औराई के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर एक अदद खोखा कारतुस 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर , चार अदद मोबाईल व खर्च के उपरांत बचा हुआ ₹22500/- नगद व घटना में प्रयुक्त टैम्पो वाहन बरामद किया गया है। उक्त घटना का सफल अनावरण में शामिल पुलिस टीमों को उत्साहवर्धन करने हेतु ₹ 25,000/- से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

थाना औराई : **थाना औराई पर पीड़ित से ₹49000/- की छल पूर्वक लूट करने की घटना में शामिल अन्तर्जनपदीय तीन अभियुक्तों को चीनी मिल औराई के पास से अपराध की योजना बनाते समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर एक अदद खोखा कारतुस 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर , चार अदद मोबाईल व खर्च के उपरांत बचा हुआ ₹22500/- नगद व घटना में प्रयुक्त टैम्पो वाहन बरामद किया गया है।**

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30 जून 2025 को एकलाख अहमद पुत्र समीउल्लाह निवासी मोहल्ला चौधरी नगर वार्ड नंबर 10 घोसिया थाना औराई जनपद भदोही द्वारा पंजाब नेशनल बैंक जयरामपुर माधोसिंह से समय दोपहर करीब 12:00 बजे ₹49000/- आहरित किया गया। दो अज्ञात लड़के बैंक में मिले और कहने लगे की चाचा हमें भी ₹200000/- औराई पोस्ट ऑफिस में जमा करना है, आप जमा करवा दीजिए इस बात पर एकलाख अहमद उपरोक्त ने उन दोनों लड़कों को अपनी स्कूटी पर बैठाकर पोस्ट ऑफिस जाने लगे रास्ते में उसमें से एक आरोपी बोला की चाचा मेरा ₹200000/- आप रख लीजिए और अपना ₹49000/- मुझे दीजिए कुछ काम है। वे दोनों एकलाख अहमद से ठगी करके ₹49000/- लेकर चले गये। पीड़ित के पास ठगों का ₹200000/- होने के कारण विरोध नहीं कर पाया जबकि दोनों लड़के पैदल थे। घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा दिए गये तहरीर के आधार पर थाना औराई पर मु0अ0स0 283/2025 धारा 316(2), 319(2), 309(4), 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक औराई, एसओजी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि का गहनता से छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही थी।

अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन व **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में दिनांक 06/07.07.2025 को थाना औराई पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित के साथ ₹49,000/- की छल पूर्वक लूट की घटना कारित करने वाले **अन्तर्जनपदीय तीन** अभियुक्तों 1.अंगद पाण्डेय पुत्र ब्रह्मदेव पाण्डेय निवासी ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

2.पप्पू पटेल पुत्र रामजी पटेल निवासी पश्चिमी तिवारी टोला रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया उम्र 42 वर्ष 3.रंजीत राजभर पुत्र हंस नारायण राजभर निवासी ग्राम भगवानपुर थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष को चीनी मिल औराई के पास से अपराध की योजना बनाते समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर एक अदद खोखा कारतुस 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर , चार अदद मोबाइल व खर्च के उपरांत बचा हुआ ₹22500/- नगद व घटना में प्रयुक्त एक अदद टैम्पो बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा नाजायज तमंचा मय खोखा व जिंदा कारतूस बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0290/2025 धारा 109,336,338,340 बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त अंगद पाण्डेय पुत्र ब्रह्मदेव पाण्डेय द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु नाजायज संगठित गिरोह है। कट्टा कारतूस अपने बचत के लिये रखते हैं, ताकि कोई हम लोग घटना करे तो कट्टे से डरा धमका कर भाग सकें। दिनांक 30.06.2025 को मै व पप्पू पटेल, रंजीत राजभर ने साथ में इसी टैम्पो से आकर जिसे रंजीत चला रहा था। पी0एन0बी0 औरंगाबाद के पास आकर मै उतर गया तथा पप्पू और रंजीत टैम्पो को लेकर आगे चले गये। मै पी0एन0बी0 औरंगाबाद में बैठकर रैकी करने लगा कि एक अधेड उम्र के व्यक्ति ने बैंक से रूपया निकालकर बैंक के बाहर खडे अपने स्कूटी के पास आया कि उस व्यक्ति का पीछा करता हुआ मै भी उसके पास आया तभी पप्पू पटेल भी सुनियोजित तरीके से आ गया। हम दोनो ने उस अधेड व्यक्ति से अपने आप को मूर्ख साबित करते हुये बोले की मेरे पास ₹200000/- रूपया है। बैंक में जमा करने नही आता है। मुझे यह रूपया फिक्स करना है। उस व्यक्ति को अपने माया जाल एवं बातो में फसाकर उसकी स्कूटी पर बैठकर माधोसिंह ओवर ब्रिज पूर्वी छोर के पास आये। उसी समय रंजीत राजभर उपरोक्त भी टैम्पो चलाते हुये आ गया तथा पहले से कागज को मोडकर नोट जैसे गड्डी बनाकर रुमाल में बांध कर रखे थे। जिसको दिखाकर कहे की यह ₹200000/- (दो लाख) रूपया आप अपने पास रख लीजिये इसे फिक्स कराना है तथा मुझे ₹1000 रूपया दे दीजिए हम अभी आ रहे है तो आप औराई पोस्ट आफिस में चल कर हम लोगो का पैसा फिक्स करा दीजियेगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने हम लोगो की बातो में विश्वास कर बैंक से निकाले हुये ₹49000/- रूपया अपनी पाकेट से निकाल कर ₹1000/- रूपया देने का प्रयास किया कि हम लोगो ने स्कूटी को धक्का दे कर गिरा दिया तथा उसके हाथ से ₹49000/- रूपया छीनकर कट्टा दिखाकर, धमकाकर इसी टैम्पो से बचते बचाते हुये हम तीनो लोग भाग गये थे। लूटे हुये ₹49000/- रूपये में ₹10000/- रूपया पप्पू को व 10000/- रूपया रंजीत राजभर को हिस्सा दिये तथा 10000/- रुपया मै लिया तथा शेष बचा हुआ रूपये खर्च के लिये अलग से रख लिया गया। साहब मेरे पास जो ₹10000/- रूपया मिला है। उसी में का है जिसमें 01 नोट ₹500/- की फटी है खीचते हुये फट गयी थी।

अपराध का तरीका-

संगठित होकर पेशेवर तरीके से रेकी कर बैंकों से आहरण करने वाले व्यक्तियों से छल पूर्वक लूट करने को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अंगद पाण्डेय पुत्र ब्रह्मदेव पाण्डेय निवासी ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़उम्र 28 वर्ष
2.पप्पू पटेल पुत्र रामजी पटेल निवासी पश्चिमी तिवारी टोला रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया उम्र 42 वर्ष
3.रंजीत राजभर पुत्र हंस नारायण राजभर निवासी ग्राम भगवानपुर थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर एक अदद खोखा कारतुस 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर , चार अदद मोबाईल व खर्च के उपरांत बचा हुआ ₹22500/- नगद व घटना में प्रयुक्त टैम्पो बरामद

अनावरण अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 283/2025 धारा 316(2),319(2),309(4),317(2) बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 290/ 2025 धारा 109,336,338,340 भा0न्या0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनयम थाना औराई जनपद भदोही

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

(अंगद पाण्डेय पुत्र ब्रह्मदेव पाण्डेय)

1.मु०अ०स० 347/2016 धारा 419,420 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

टीम(I)- प्रभारी निरीक्षक औराई रामसरीख गौतम,व0उ0नि0 सुनील कुमार,उ0नि0 नथुनी सिंह,उ0नि0 सदानन्द सिंह,का0 रंजीत सिंह, का0 कैलाश प्रजापति, का0 भूपेन्द्र राय,चालक हे0का0 एकलाख खाँ , मय हमराह का0 लवकुश मिश्र,का0 मनोज कुमार क0आ0 नीरज कुमार थाना औराई जनपद भदोही

टीम(I I)-

स्वाट पुलिस टीम-

निरी0 श्याम बहादुर यादव ,मु0आ0 धीरेंद्र श्रीवास्तव ,मु0आ0 हरिकेश यादव ,मु0आ0 बृजेश सिंह सूर्यवंशी ,मु0आ0 नागेंद्र यादव ,आ0 हिमांशु सिंह,आ0 प्रवेश कुमार ,आ0 सुनिल कनौजिया ,आ0 अहम सिंह,आ0 सेराफुल हसन ,आ0 प्रत्यूष पाठक ,का 0चा0 हरिओम प्रसाद

सर्विलांस टीम-

निरी0 शैलेश राय,मु0आ0 राधेश्याम कुशवाहा, आ0 गोपाल खरवार,आ0 नीरज यादव,आ0 प्रिंस भार्गव ,आ0 राघवेंद्र कुशवाहा

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा छलपूर्वक लूट की घटना के सफल अनावरण में शामिल पुलिस टीमों को उत्साहवर्धन करने हेतु ₹ 25,000/- से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।